
 <p>सूचना का अधिकार</p>	<div style="text-align: center;">  महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, पुणे यांचे कार्यालय लेखा कोष भवन, तिसरा मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, पुणे-४११ ००१ दूरध्वनी /फॅक्स ०२०-२६१२०२१६ e_mail - jd.pune@mahalfa.in </div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

जा.क्र.स्था १८/ब/तात्पुरती जेष्ठता सूची/२०१९/शिपाई/आस्था-१/पुणे/ १.५

दिनांक : 28.01.2019

प्रति,


मा. संचालक,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालय,
नवी मुंबई

विषय :- "शिपाई" या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2019 रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त सेवा जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत.

संदर्भ :- 1) शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-2011/प्र.क्र.284/12 दि.21.10.2011.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्वये सविनय सादर करण्यात येते की, संदर्भिय शासन निर्णयामधील मुद्दा क्र. 2(अ) (ब) (क) नुसार सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, पुणे विभाग, पुणे या कार्यालयासह या कार्यालयाच्या अधिनस्त कार्यालयातील "शिपाई" या संवर्गात दि. 01/01/2018 ते 31/12/2018 या कालावधीत पदोन्नती, सरळसेवा व अन्य विहित मार्गाने नियुक्त कर्मचारी नसल्याने "शिपाई" संवर्गाची तात्पुरती अतिरिक्त सेवा जेष्ठता सूची प्रसिध्द करता येत नाही.

आपला

सहसंचालक,
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,
पुणे विभाग, पुणे.

प्रत - माहिती व कार्यवाहीस्तव

सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, पुणे /सातारा /सांगली /कोल्हापूर /सोलापूर.

/- आपणास कळविण्यात येते की, संचालनालयाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द होणारी दि.01.01.2019 ची तात्पुरती अतिरिक्त सेवा जेष्ठता सूची आपल्या अधिनस्त असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास तात्काळ आणण्यात यावी. तसेच सदर सूचीबाबत कुठल्याही प्रकारचे आक्षेप असल्यास सूची प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून 15 दिवसात या कार्यालयाकडे नोंदविण्यात यावेत. या मुदतीनंतर आलेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही याबाबत योग्य त्या सूचना आपल्या स्तरावरून संबंधितास देण्यात याव्यात.